न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्या : 0[illegible]/2020

1. हरमनप्रीत सिंह पुत्र कलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 56 एफ तहसील श्री करणपुर।

--प्रार्थी--

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार श्री करणपुर।

--अप्रार्थी--

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

--निर्णय--

दिनांक २५/०१/२०२०

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी हरमनप्रीत सिंह पुत्र कलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी चक 56 एफ तहसील श्री करणपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 56 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 90/100 के मु.न. 11 के किला न. 11 के 0.076 हैक्टर, किला न. 12 के 0.202 हैक्टर, किला न. 19 ता 22 सालम-सालम राजस्व रिकॉर्ड में बारानी दर्ज है। नहरी विभाग की जमाबन्दी सम्वत 1838 ता 42 में उपर्युक्त रकबा नहरी दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त रकबा बारानी से नहरी दर्ज किया जावे। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ चक 56 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 90/100 व इसी चक के खाता संख्या 91/105 की जमाबन्दी प्रस्तुत की व इसी चक की जमाबन्दी सम्वत 2061 ता 64 के खाता संख्या 36/13, 40/34 व 81/70 की जमाबन्दी प्रस्तुत की एवं सीसीए स्टेटमेन्ट की प्रति, हरमनप्रीत सिंह के नाम की पानी की पर्ची पेश की।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार श्री करणपुर से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्री करणपुर के क्रमांकः टीआरए/ 645 दिनांक 08.11.2019 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन उत्तर खण्ड, श्री गंगानगर चक 56 एफ के पत्थर नम्बर 218/193, 5-2 बीघा (नहरी) व 11-3 बीघा बारानी दर्ज है। पटवारी हलका 56 एफ की रिपोर्ट चक 56 एफ के खाता संख्या 90 के मु.न. 11 के किला न. 11 के 0.076 हैक्टर, किला न. 12 के 0.202 हैक्टर, किला न. 19 के 0.253 हैक्टर, किला न.. 20 के 0.228 हैक्टर, किला न. 21 के 0.227 हैक्टर, किला न. 22 के 0.253 हैक्टर, किला न. 23 0.253 हैक्टर की कुल 1.492 हैक्टर बारानी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में हरमनप्रीत सिंह पुत्र गुरूकलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी देह खातेदार रहन एच.डी.एफ.सी शाखा गंगानगर के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर कोई स्थगन/ विवाद नहीं है। सेल रजिस्टर संख्या 5 के पृष्ठ संख्या 11 के क्रम संख्या 2 शुचा सिंह पुत्र हीरा सिंह मेहरा के नाम चक 56 एफ के मु.न. 12 के किला न. 11 के 6 बिस्वा, किला न. 12 के 16 बिस्वा, किला न. 19 ता 22 की 4 बीघा, किला न. 23 के 18 बिस्वा कुल 6 बीघा नहरी भूमि आंवटन दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि का आंवटन 400 रुपए प्रति बीघा नहरी दर से आवंटन है तथा आवंटित भूमि की समस्त राशि 2400 रुपए जमा करवा दी गई है। अतः कोई राशि जमा से शेष नहीं है। उक्त रकबा को राजस्व रिकॉर्ड में बारानी से नहरी दर्ज किया जाना उचित है।

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

Scanned by CamScanner

हरमनप्रीत सिंह बनाम राजस्थान सरकार

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 आरटीए प्रकरण संख्या 07/2020

एक पक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों दोहराते हुए, वाद पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी चक 56 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 90/100 के मु.न. 11 के किला न. 11 के 0.076 हैक्टर, किला न. 12 के 0.202 हैक्टर, किला न. 19 ता 22 सालम-सालम राजस्व रिकॉर्ड में बारानी से नहरी दर्ज किए जाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर के अनुसार सेल रजिस्टर संख्या 5 के पृष्ठ संख्या 11 के क्रम संख्या 2 शुचा सिंह पुत्र हीरा सिंह मेहरा के नाम चक 56 एफ के मु.न. 12 के किला न. 11 के 6 बिस्वा, किला न. 12 के 16 बिस्वा, किला न. 19 ता 22 की 4 बीघा, किला न. 23 के 18 बिस्वा कुल 6 बीघा नहरी भूमि आंवटन दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि की आंवटन 400 रुपए प्रति बीघा नहरी दर से समस्त राशि 2400 रुपए जमा करवा दी गई है। अतः कोई राशि जमा से शेष नहीं है। उक्त रकबा को राजस्व रिकॉर्ड में बारानी से नहरी दर्ज किया जाना उचित है। तहसीलदार रिपोर्ट के सलग्न पटवारी हलका 56 एफ की रिपोर्ट के अनुसार खाता संख्या 90 के मु.न. 11 के किला न. 11 के 0.076 हैक्टर, किला न. 12 के 0.202 हैक्टर, किला न. 19 के 0.253 हैक्टर, किला न. 20 के 0.228 हैक्टर, किला न. 21 के 0.227 हैक्टर, किला न. 22 के 0.253 हैक्टर, किला न. 23 0.253 हैक्टर की कुल 1.492 हैक्टर भूमि पर देह खातेदार हरमनप्रीत सिंह पुत्र गुरूकलवन्त सिंह द्वारा वर्तमान में मौके पर मूंग की फसल काश्त कर रखी है। और नहर के पानी से बारी अनुसार अपनी मु.न. 11 की 1.492 हैक्टर भूमि पर मूंग की फसल की सिचाई कर रहा है। वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

उपर्युक्त तथ्यो के विवेचन एवं रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 56 एफ के मु.न. 11 के किला न. 11 के 0.076 हैक्टर, किला न. 12 के 0.202 हैक्टर, किला न. 19 के 0.253 हैक्टर, किला न. 20 के 0.228 हैक्टर, किला न. 21 के 0.227 हैक्टर, किला न. 22 के 0.253 हैक्टर, किला न. 23 0.253 हैक्टर की कुल 1.492 हैक्टर बारानी भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आश्य का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्री करणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो व एच.डी.एफ.सी. शाखा श्री गंगानगर को सूचनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक २५/०१/२०. को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

{मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस.}

उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}

श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.02.07 15:52:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: